उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

B.P.L.E. APPEAL No.- 70/2013-14

Appellant - (1) Bablu Dutta (2) Amiyo Kumar Dutta
(3) AmbujKumar Dutta (4) Abodh Kumar Dutta
(5) Apurba Kumar Dutta

- Vrs.-

Respondent/O.P. State of Jharkhand & Others

	आदेश	
	1. यह अपील आवेदन अंचल अधिकारी का न्यायालय जमशेदपुर द्वारा B.P.L.E. केस नम्बर–22/2012–13 में दिनांक 28.11.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी (1) Bablu Dutta (2) Amiyo Kumar Dutta (3) Ambuj Kumar Dutta (4) Abodh Kumar Dutta (5) Apurba Kumar Dutta द्वारा दायर किया गया है। अपील आवेदन में जिक किया गया है, कि "(1) That the learned lower court issued notice initiating a proceeding u/s 3 of B.P.L.E. Act against the appellants with respect to a piece of land measuring 2.24 Acres of Mouza Jagannathpur, thana No. 1145, plot No. 25/34. (2) That the appellants after receipt of the notice u/s 3 of the B.P.L.E. Act appeared in the case and filed their show cause. (3) That the learned lower court without giving any opportunity to the Ops/Appellants and without hearing submission on of the Ops/Appellants passed an order dated 22-01-2013 u/s 6(2) of the B.P.L.E. Act thereby directing the OPs/ Appellants to vacate the land in proceeding." 2. निम्न अदालत अभिलेख बी0पी0एल0ई0 वाद संख्या–22/2012–13 में दिनांक 22.10.2013 को पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है, कि "अतिक्रमणकारी के पास कोई ऐसा सबूत या कागजात नहीं है, जिसके आधार पर प्रमाणित हो कि मौजा–जगन्नाथपुर, थाना/वार्ड नं0–1145, खाता नं0–9, प्लॉट नं0–25/34, रकवा 2.24 ए0 भूमि पर विपक्षी का स्वामित्व बनता है। अतिक्रमणकारी के द्वारा अवैध रूप से अनाबाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के भूमि पर खूँटा गाड़ कर अतिक्रमण कर लिया गया है। यह भूमि अनाबाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) की भूमि है तथा बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत बी0पी0एल0ई0 एक्ट की धारा–2 में परिभाषित लोक भूमि के अन्तर्गत है। अतः सरकारी भूमि के रक्षार्थ वर्णित भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा–6(2) के अन्तर्गत अतिक्रमणकारी श्री बबलु दत्ता, पिता स्व0 अजीत कुमार दत्ता एवं अनय कुमार दत्ता, अम्बुज कुमार दत्ता, असीत कुमार दत्त, अबोध कुमार दत्त, अपूर्व कुमार दत्त, पिता शक्तिपद दत्त, सा0–भिलाईपहाड़ी, जमशेदपुर को उच्छेदन आदेश देता हूँ। अतिक्रमणकारी को नोटिस करें कि	

7/6/16

उक्त वर्णित भूमि पर से अतिक्रमण दिनांक 05.08.2015 तक हटा लें अन्यथा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा एवं उस पर की गई खर्च अतिक्रमणकारी से वसूली जाएगी।"

3. निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है, कि "प्रश्नगत भूमि मौजा–जगन्नाथपुर, थाना नं0–1145, थाना–घाटशिला, खाता नं0–9, प्लॉट नं0–25/34, रकवा 2.24 ए0 सरकारी भूमि है, जिसपर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अतिक्रमण दायर कर अतिक्रमण हटाने की कृपा की जाय।"

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश, निम्न अदालत अभिलेख में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, सम्पूर्ण अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–84(1), (2) एवं (3) में प्रावधानित है, कि (1) In any suit or other proceedings in which a record-of-rights prepared and published under this Chapter or a duly certified copy thereof or extract therefrom is produced, such record-of-rights shall be presumed to have been finally published unless such publication is expressly denied and a certificate, signed by the Revenue-officer, or by the Deputy Commissioner of any district in which its local area, estate or tenure or part thereof to which the record-of-rights relates is wholly or partly situate, stating that the record-of-rights has been finally published, under this chapter shall be conclusive evidence of such publication. (2) The (State) Government may, by notification, declare with regard to any specified area, that a record-of-rights has been finally published for every village included in that area; and such notification shall be conclusive evidence of such publication. (3) Every entry in a record-of-rights so published shall be evidence of the matter referred to in such entry and shall be presumed to be correct until it is proved, by evidence, to be correct. इन प्रावधानों के अनुसार record-of-rights का निर्धारण हाल सर्वे खतियान के आधार पर की जानी है। हाल सर्वे खतियान में प्रश्नगत भूमि अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के नाम से दर्ज है। इससे स्पष्ट है, कि निम्न न्यायालय का आदेश उचित एवं न्यायसंगत है इसे यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 07.06.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

7/6/16

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

7/6/16

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।